(147)

संख्याः– 356 / II–2012–04(04) / 2011

प्रेषक,

एस0एस0 टोलिया,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग — देहरादून, दिनांक 13 जून, 2012

विषयः एआई0बी0पी0 के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रसंख्या–1654 / मुअवि / बजट / बी–1 सामान्य, दिनांक 03.05.2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित सिंचाई लाभ–कार्यक्रम के अन्तर्गत **28 सं0** हेतु भारत सरकार के पत्रसंख्या 41(1) / पी0एफ0–1 / 2010–1455, दिनांक 25.03.2011 द्वारा स्वीकृत केन्द्रांश ₹ 2430.00 लाख एवं **40 सं0 योजनाओं** हेतु पत्रसंख्या 41(1) / पी0एफ0–1 / 2011–1091, दिनांक 14.12.2011 द्वारा स्वीकृत केन्द्रांश ₹ 7523.25 लाख के सापेक्ष निम्न तालिकानुसार अवशेष केन्द्रांश ₹ 1656.57 लाख व राज्यांश ₹ 102.60 लाख अर्थात् कुल धनराशि ₹ 1759.17 (₹ सत्रह करोड़ उनसठ लाख सत्रह हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में तदोपरान्त उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	योजनाओं का विवरण	योजनाओं की लागत	योजना लागत के सापेक्ष कुल केन्द्रांश	योजना लागत के सापेक्ष कुल राज्यांश	केन्द्र सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि	राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आंवटित धनराशि		अवमुक्त की जा रही धनराशि	
						केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	28 सं0	4010.06	3609.05	401.01	2430.00	2430.00	270.00	—	—
2	40 सं0	15225.06	13702.55	1522.51	7523.25	5866.68	733.32	1656.57	102.60
	कुल योग	19235.12	17311.60	1923.52	9953.25	8296.68	1003.32	1656.57	102.60
								कुल योगः– 1759.17	

1. धनराशि उन्ही योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एवं उसी सीमा तक व्यय की जायेगी जिनका अनुमोदन एवं जितनी लागत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है।
2. योजनाओं का कार्य कराते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 तथा शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत अन्य आदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।
3. अधीक्षण अभियन्ता सभी योजनाओं का स्थल निरीक्षण कर स्थलीय आवश्यकतानुसार एवं शासन द्वारा अनुमोदित आगणन / लागत के अनुसार कार्य प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित करें।
4. अधीक्षण अभियन्ता का दायित्व होगा कि कार्यों को सम्पादित कराने से पूर्व आगणन में लगाई गयी लीड, दूरी आदि का सत्यापन करें तथा आगणन में ली गयी दरों का पुनः परीक्षण करा लें ताकि किसी दर में कोई भ्रान्ति उत्पन्न न हो।
5. कार्य कराने से पूर्व परियोजनाओं के विस्तृत मानचित्र आगणन गठित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लें, तदपरोन्त ही कार्य करायें।

क्रमशः.........2

6. आगणन में जिन मदों के लिए धनराशि की व्यवस्था की गयी है व्यय भी उन्हीं मदों में सुनिश्चित किया जाय।
7. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय और उपयुक्त न पाये जाने पर सामग्री को प्रयोग में न लाया जाय।
8. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना उसके मानक में अनुमन्य है।
9. एक मुश्त प्राविधान के कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
10. कार्य सम्पादित कराते समय विभागीय विशिष्टियों का पालन करना सुनिश्चित किया जाय तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय।
11. योजना के क्रियान्वयन के समय ए0आई0बी0पी0 की योजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार के निर्देशों एवं स्वीकृति के साथ दिये गये प्रतिबन्धों/शर्तों का अनुपालन किया जाय ।
12. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–20 व 30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय में संलग्नक–1 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों/उपशीर्षकों के अन्तर्गत 24–वृहत निर्माण कार्य में सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–394/XXVII(2)/2012, दिनांक 07 जून, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव।

संख्याः–356 (1)/ II–2012–04(04)/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
3. सीनियर, ज्वांईट कमिश्नर, (एम0आई0) जल संसाधन मंत्रालय 108 बी0 शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. वित्त अनु–2,/नियोजन अनुभाग।
5. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशालय, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
8. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव।

संलग्नक–1

शासनादेश संख्याः–356 (1)/ II–2012–04(04)/2011 दिनांक 13/6/12 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	अनुदान सं0 व लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2012–13 के लेखानुदान में प्राविधान	प्रस्तावित आवंटन
1	2	3	4
1	अनुदान सं0–20 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–05 सिंचाई विभाग की नई योजनायें–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0195 ए0आई0बी0पी0 की सिंचाई योजनायें (75% के0स0)–24 वृहत निर्माण कार्य	5333.33	1753.17
2	अनुदान सं0–30 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–05 सिंचाई नहरों की नई योजनायें–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत एवं केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें–0101 एआईबीपी योजना में नहर निर्माण–24 वृहत निर्माण कार्य	1353.33	6.00
	योग	6686.66	1759.17

(₹ सत्रह करोड़ उनसठ लाख सत्रह हजार मात्र)

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव।